न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–482 / 2016

1. मदनलाल पुत्र नारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

2. गोपाल लाल पुत्र नारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

3. अर्जुन पुत्र नाथू, जाति अहीर, निवासी ग्राम ढाणी, भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

4. महेश पुत्र सुरजा, जाति अहीर, निवासी ग्राम ढाणी, भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

5. बिदामी पत्नी सुरजा पत्नी सुल्तान, जाति अहीर, निवासी ग्राम ढाणी, भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

6. कमला पुत्री नाथू पत्नी सुल्तान जाति अहीर, निवासी खटकड, किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

7. मनभरी पुत्री नाथू पत्नी गोपाल, जाति अहीर, निवासी खटकड़ किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

8. प्रेम पुत्र नाथू पत्नी बाबूलाल, जाति अहीर, निवासी खडकट किशोरपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

9. सीता पुत्री सुरजा पत्नी प्रहलाद, जाति अहीर, निवासी अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुरा, जिला सीकर।

10. रमकी पुत्री सुरजा पत्नी बाबूलाल, जाति अहीर, निवासी अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

11. हंसा पुत्री सुरजा पत्नी मुकेश, जाति अहीर, निवासी अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

12. अन्जू पुत्री सुरजा, जाति अहीर, निवासी अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

13. फुली पुत्री नारायण पत्नी फूलचन्द, जाति अहीर, निवासी लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

14. सुरजी पुत्री नारायण पत्नी प्रहलाद अहीर, निवासी अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

15. संतोष पुत्री नारायण पत्नी शंकर अहीर, निवासी अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– अपीलान्टस–

बनाम

1. सोनाराम पुत्र पेमला जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

2. बंशीधर पुत्र रूडाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

3. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रूडाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स–

4. भगवान सहाय पुत्र गंगाबक्श जाति अहीर, , निवासी ग्राम ढाणी भूरावाली, तन करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री एन0 के0 यादव अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री मुकेश कुमार शर्मा रेस्पोडेंटस की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 24–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर मुकदमा नम्बर 01/2016 पूर्ववर्ती प्रकरण संख्या 3/2014, 9/2014 आदेश दिनांक 03–09–2014 बउनवानी सोनाराम अन्य बनाम गंगाबक्श वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए कहा कि हाल खसरा नम्बर 2811, 2839, 2841 के भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार प्रार्थी रेस्पोडेंटस है। खसरा नम्बर 2811 में रेस्पोडेंट का पुख्ता मकान बना हुआ है तथा आबादी के रूप में उपयोग उपभोग आ रही है। खसरा नम्बर 2811, 2814 में स्थित आबादी ढाणी भूरावाली स्थित है तथा खसरा नम्बर 2813, 2814, 2817 की खातेदारी अपीलार्थीगण अप्रार्थीगण के नाम राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज है। खसरा नम्बर 2814 में अपीलार्थीगण की ढाणी बनी हुई है तथा आगे निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2811, 2839 से लगती हुई पश्चिम की तरफ लगती हुई अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2814, 2815 तथा पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 2809, 2810. 2813 ग्राम करीरी तथा खसरा नमबर 2813 व 2815 के पश्चिम की तरफ ग्राम करीरी से बिलान्दपुर जाने वाला पक्की ग्रेवल सडक बनी हैं उक्त रोड से खसरा नम्बर 2815 के दक्षिणी सीमा से लगते हुए तथा खसरा नम्बर 2814 के उत्तरी सीमा से लगता हुआ रास्ता नक्शें में कटा हुआ हैं उक्त रास्ते से रेस्पोडेंट ने 2811, 2839 व 2841 में रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 2811, 2812 के उत्तरी पश्चिम कोने तक 13 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाये जिसके कारण रेस्पोडेंट अपनी खातेदारी भूमि में आ जा सके। रेस्पोडेंट

के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं तथा अन्य कोई लघुतम व निकटतम रास्ता भी प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नहीं हैं इसलिए प्रार्थी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अपीलार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र वेग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम बिलान्दरपुर से करीरी वाले रास्ते से प्रार्थना पत्र के माध्यम से रास्ता नहीं चाहकर अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 2814 के पश्चिम दक्षिण दिशा में रास्ता चाहा गया है जबकि उपरोक्त बिलान्दरपुर वाली रोड से खसरा नम्बर 2814 तक कोई रास्ता राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है केवल मात्र उक्त रास्ते से खसरा नम्बर 1813 व 1815 की सीमा पर पगडंडी प्रकार का पक्का अपीलार्थीगण के आने जाने का रास्ता है तथा आगे निवेदन किया कि रेस्पोडेंट के पास खसरा नम्बर 2835, 2831, 2849 के दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे पूर्वी दिशा मे मुख्य रोड पर आने जाने का रास्ता कदीमी चालू है जो आज भी मौके पर चालू है। आगे निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी में हाल आराजी खसरा नम्बर 2808, 2809 के दक्षिणी दिशा में स्थित बारानी खसरा नम्बर 2806 व 2807 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर में से अपीलार्थीगण रेस्पोडेंट को उसके खसरा नम्बर 2839 मे आने जाने के लिए रास्ता अदा करने को तैयार है। क्योंकि खसरा नम्बर 2815, व 2813 के मध्य कोई पुख्ता आम रास्ता न राजस्व अलिलेखों में दर्ज है तथा न ही मौके पर कोई पुख्ता आम रास्ता ही है तथा आगे निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2814 के पश्चिम दक्षिणी हिस्से में जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया है उक्त रास्ते में लगभग 50–60 छायादार व फलदायी वृक्ष लगे हुए है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की सीमा में ही अपीलार्थीगण के पशु बाडे टीन शैड निर्मित आवासीय मकान व पशुओं के रहवास वास्ते टीन शैड निर्मित पक्के मकान बने हुए है जोकि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.04.2016 से भी बखूबी साबित है किन्तु इन तमाम तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा दिनांक 03.09.2014 को अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 एवं सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् पुनरावलोकन का दिनांक 23.09.2014 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन दिनांक 14.11.2014 को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 1/2016 दर्ज रजिस्टर किया गया।पत्रावली में तहसीलदार शाहपुरा तथा पटवारी हल्का करीरी द्वारा मौका रिपोर्ट की गई तथा उभय पक्षकारान की पुनः बहस समाहत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2016 को पारित फरमाते हुए पूर्ववर्ती आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 03.09.2014 को यथावत रखने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3— अपीलान्ट्स द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतः विधि विधान पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध व प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा दिनांक 03.09.2014 को यथावत रखा गया है वह पूर्णत विधि विरूद्ध है। जब कोई आदेश पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त कर दिया जाता है तो उक्त पूर्ववर्ती आदेश को नये आदेश के माध्यम से किसी भी अवस्था में बहाल नहीं किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून की मंशा के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी अविभाजित आराजियात के बाबत् अन्य सह खातेदारान को पक्षकारान मुकदमा नहीं बनाया गया केवल मात्र स्वयं को ही प्रभावित पक्षकार मानते हुए रास्ता चाहने बाबत् अवैध अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करवाया गया है। बिलान्दरपुर से करीरी की ओर जाने वाले आम रास्ते से अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 2814 तक कोई आम रास्ता न तो मौके पर उपलब्ध है तथा ना ही राजस्व भू अभिलेखों में ही दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलान्दपुर से करीरी रोड से खसरा नम्बर 2815 व 2813 के मध्य राजस्व भू अभिलेखों में पुख्ता आम रास्ता अवैध रूप से अपने अपीलाधीन आदेश में मानते हुए खसरा नम्बर 2814 के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्से के सहारे खसरा नम्बर 2811 के बाबत् आने जाने का अवैध रूप से आदेश पाारित किया गया है। विधि की मंशा के अनुसार व्यक्ति को राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज मुख्य रास्ते से उसकी स्वयं की खातेदारी आराजी तक सम्पूर्ण भूमि में रास्ता काटे जाने का कानूनी प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को नाजायज लाभ प्रदान करने के लिहाज से खसरा नम्बर 2813 व 2815 के मध्य सीमा पर अवैध रास्ता मात्र कल्पना के आधार पर मानते हुए पश्चात्वर्ती खसरा नम्बर में अवैध रास्ता प्रदत्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि पूर्णत विधि की मंशा के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 के आराजी खसरा नम्बर 2839, 2811, 2812 में आने जाने का पूर्ववर्ती रास्ता उनके ही भाईबन्धों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज खसरा नम्बर 2835, 2832, 2833, 2849 की दक्षिणी सीमा पर कदीम से 12 फीट चौडा रास्ता बना हुआ है तथा रेस्पोडेंट व अन्य लोग उक्त रास्ते से ही 60—70 वर्षो से आते जाते रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के बाबत् पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 18.03.2015 को तहसीलदार शाहपुरा से पुनः रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने बाबत् तथा पक्षकारान की उपस्थिति अंकित करते हुए रिपोर्ट प्रेषित किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये थे किन्तु तहसीलदार शाहपुरा द्वारा न तो रिपोर्ट बनाते समय उभय पक्षकारान को साक्ष्य समर्थन व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा ना ही उनकी उपस्थिति में कोई रिपोर्ट बनाई गई।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का करीरी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.04.2016 की भी पूर्णतया अनदेखी की गई। रास्ते में अपीलार्थीगण की कृषि भूमि के अलावा फलदार

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

व छायादार वृक्ष टीन शैड निर्मित आवासीय मकान व पशु बाडे आदि बाबत् कोई आर्थिक गणना नहीं कर अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अन्यथा भी रास्ते के लिए इन्कार नहीं किया गया तथा स्वयं के आराजी खसरा नम्बर 2806 व 2807 जोकि बिलान्दरपुर करीरी रोड से स्पर्श करते हुए है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 2839 से स्पर्श करते हैं। उक्त आराजी बारानी व असिंचित आराजी है। उक्त आराजी में से रास्ता प्रदान कर दिया जाता हैं तो अपीलार्थीगण को अपने छायादार व फलदायी वृक्षों की क्षति रूक जायेगी तथा अपीलार्थीगण की टीन शैड निर्मित आवासीय मकान व पशु बाडों को भी नष्ट होने की संभावना कम हो जायेगी।अपीलार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर में से रास्ता प्राप्त करने में रेस्पोडेंट को कोई असहनीय व अपूर्तनीय क्षति कारित नहीं होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के निवेदन पर वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2806 व 2807 में से दिये जाने बाबत् कोई न्यायिक विवेक नहीं लगाया हैं। खसरा नम्बर 2815 व 2813 के मध्य कोई पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर भी केवल मात्र अपीलार्थीगण की पगडंडी रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता का खसरा नम्बर होना मानते हुए उक्त आराजी बाबत् अपीलार्थीगण को कोई डी.एल.सी की राशि भी प्रदान नहीं की गई। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.07.2016 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि खसरा नम्बर 2813 व 2815 के मध्य कोई आम रास्ता नही होने के बावजूद भी उसे आम रास्ता माना जाकर तथा कोई प्रतिकर दिये इससे आगे खसरा नम्बर 2814 के सहारे खसरा नम्बर 2813 में रास्ताकायम करने का अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 2806 व 2807 में से रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया गया था उसपर भी गौर नहीं किया गया, जो कि कम दूरी का रास्ता हो सकता है। जो रास्ता प्रदान किया गया है उसमें अपीलान्ट्स के कई छायादार व फलदार वृक्षों की क्षति होगी एवं निर्माण कार्यो की भी क्षति होगी जिनके बारे में कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा नम्बर 2813 व 2015 के मध्य ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट रोड बनाई हुई है जिसका मुआवजा अपीलार्थीगण प्राप्त नहीं कर सकता है। रेस्पोडेन्टस द्वारा बाहमी बंटवारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का कर रखा है तथा खसरा नम्बर 2811 में रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण के मकानात बने हुए है।अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की भूमि रेस्पोडेन्टस प्रार्थीगण की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से लगती हुई स्थित है। खसरा नम्बर 2814 की पश्चिमी व खसरा नम्बर 2813 के पूर्वी सीव से दक्षिणी पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 2811 व 2812 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक लगभग 13 फीट चौडा रास्ता दिये जाने बाबत रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा चाहा गया यही रास्ता निकटतम है, प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 20–06–2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उसी रिपोर्ट के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।अपीलाधीन आदेश द्वारा दिया गया रास्ता केवल सुविधा के लिये नही है बल्कि प्रार्थीगण के मकानात व कृषि भूमि में पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से स्वीकृत किया गया है।अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुति कारित नहीं की गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे। 7–उभयपक्ष की बहस पर मननन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा जो मुख्य आपत्ति ली गई है उनमें खसरा नम्बर 2813 व 2815 के मध्य गैर मुमकिन रास्ता नही होकर उनकी खातेदारी भूमि होना, उसका मुआवजा नही दिया जाना,स्वीकृत किये गये रास्ते के मध्य फलदार व छायादार पेड होना, टीनशेड व मकान बाडे निर्मित होना एवं उनका प्रतिकर नहीं दिया जाना तथा खसरा नम्बर 2806 व 2807 के मध्य जो उनकी खातेदारी कृषि भूमि है में से रास्ता प्रदान किये जाने की सहमति दिया जाना कथन किया गया है।उक्त आपत्तियों के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में तहसीलदार शाहपुरा से जॉच रिपोर्ट चाही गई जो उनके द्वारा दिनांक 20–06–2014 को प्रेषित की गई हैं उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का से सूचना ली जाकर रिपोर्ट प्रेषित की गई है उक्त रिपोर्ट में कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 2813 में से रास्ता दिया जाना उपर्युक्त है जो खसरा नम्बर 2814 में बनी हुई सीमेंटेड रोड से मिलता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2066 से 2069 ग्राम करीरी के खाता सख्या 274 में खसरा नम्बर 2813 व 2815 चाही प्रथम दर्ज है तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि में भी उक्त खसरान के मध्य कोई गैर मुमकिन रास्ता दर्शित नही है।अपीलाधीन आदेश में उक्त खसरान की भूमि के संबंध में प्रतिकर दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में कोई विवेकपूर्ण विवेचन नहीं किया गया है तथा इनके खातेदारों को कोई प्रतिकर राशि दिये जाने का आदेश प्रदान नहीं किया गया है।प्रकरण में अधिनस्थ न्ययालय के समक्ष उनके पत्र क्रमांक 2016/44 दिनांक 02/03/2016 के संबंध में पटवारी हल्का करीरी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि पर दो आम के पेड, तीन बील के पेड, एक पेड कीकर का बडा पुराना व एक पेड कीकर का छोटा तथा टीनशेड बना हुआ है। अपीलाधीन आदेश में उक्त पेडों

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

व निर्माण के संबंध में कोई प्रतिकर दिये जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–7–2016 यह उल्लेख करते हुए पारित किया गया है कि प्रश्नगत रास्ते के संबंध में पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 3–9–2014 की पालना की जा चुकी है तथा रास्जव रिकार्ड में अमल भी किया जा चुका है इसलिये उसमें दखल करने की आवश्यकता नही है।न्यायालय का उक्त आदेश उचित नही ठहराया जा सकता है क्योंकि पूर्व निर्णय दिनांक 03–09–2014 को पुनरावलोकित किया जाकर निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई है। अधिनस्थन्यायालय को पुनः प्रस्तुतकिये गये साक्ष्य सबूतों के आधार पर तथा अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विवेकपूर्ण विवेचन किया जाकर न्यायिक निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है तथा मात्र पूर्व निर्णय की क्रियान्विति हो जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–07–2016 पारित किया गया है जो कि बहाल रखे जाने योग्य नही है।उपर्युक्त विवेचन से अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8–अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–07–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए तथा उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर